न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 17 / 2023 (राजसमन्द डिक्की)

आसूसिंह पिता स्वर्गीय अर्जुनसिंह जी रावत, निवासी उपला कुंवा, हमेला की वेर, ग्राम पंचायत बरार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक गनेसिंह पिता स्वर्गीय अर्जुनसिंह जी रावत के बजाय :–

1 / 1. किशनसिंह पिता स्व0 गनेसिंह जी रावत, निवासी उपला कुंवा, हमेला की वेर, ग्राम पंचायत बरार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

1 / 2. श्रीमती भूरी देवी पत्नी स्व0 गनेसिंह जी रावत, निवासी उपला कुंवा, हमेला की वेर, ग्रा.पं. बरार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

1 / 3. श्रीमती भोली देवी पुत्री स्व0 गनेसिंह जी रावत, निवासी उपला कुंवा, हमेला की वेर, ग्रा.पं. बरार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

2. श्रीमती लाछी देवी पत्नी हुकुमसिंह जी रावत, निवासी उपला कुंवा, हमेला की वेर, ग्राम पंचायत बरार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्की उपखण्ड अधिकारी, भीम दिनांक
06–06–2018 प्रकरण संख्या 53 / 17

———/———

उपस्थित :– 1– श्री योगेन्द्र दशोरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री काशीराम मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/3

———::———

निर्णय **दिनांक 10–02–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 / 1 से 1 / 3 के पिता / पति मृतक गनेसिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:25 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया कि ग्राम हामेला की वैर, तहसील भीम में आराजी नंबर 9821, 9840, 9861, 9868, 9869, 9885, 9886, 9890 से 9893, 9897, 9898, 9902, 9910 कुल किता 15 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी उक्त भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 आसूसिंह का 3/5 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से भूमि के विकास में असुविधा होती है। अतः विवादित आराजियात का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी को 1/5 हिस्से का स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 06–06–2018 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–07–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री काशीराम मेघवाल उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र दशोरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया, न ही उसे सुना गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट ने दिनांक 09–06–2023 को नकल हेतु आवेदन कर आप न्यायालय में अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है, जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रारम्भ से ही थी, किन्तु जानबूझकर अपील करने में विलम्ब से प्रस्तुत की है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:25 IST
Reason: SelfAttested

बेरून मयाद होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय निर्णय व डिक्री दिनांक 06–06–2018 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–07–2023 को प्रस्तुत की गई है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस होकर अपील दिनांक 05–08–2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। अपील करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं व 5 वर्ष के विलम्ब हेतु पर्याप्त एवं उचित कारण प्रकट नहीं होते हैं। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 06–06–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:25 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

आसूसिंह पिता स्व. अर्जुनसिंह रावत, निवासी उपला कुंवा, हमेला की वेर, ग्राम पंचायत बरार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

बनाम

मृतक गनेसिंह के बजाय किशनसिंह पिता स्व. गनेसिंह रावत, नि0 उपला कुंवा, हमेला की वेर, ग्रा. पंचा. बरार, तह. भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....**17 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....06**.....माह.....**06**.....**.....2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**.10**.....माह.....02**.....**सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री योगेन्द्र दशोरा .....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री काशीराम मेघवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 06–06–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**02**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:25 IST
Reason: SelfAttested